उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड



(उत्तर प्रदेश सरकार का उपक्रम) शक्ति भवन, 14-अशोक मार्ग, लखनऊ CIN: U32201UP1999SGC024928

संख्याः ४४५ -विनियम एवं काविनी /पाकालि/२०२१-०१-विनियम/२०००(TC)

दिनांकः 06 जुलाई, 2021

कार्यालय-ज्ञाप

कम्पनी अधिनियम—2013 की धारा—179 तथा निगम के आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के आर्टिकल—47, 48 एवं अन्य विधिक प्राविधानों के अन्तर्गत प्राप्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि० के निदेशक मण्डल द्वारा दिनांक 06.07.2021 को परिचलन विधि के माध्यम से लिये गये निर्णय के अनुपालन में एतद्वारा आदेशित किया जाता है कि पूर्ववर्ती उ०प्र० राज्य विद्युत परिषद काल में निर्गत निम्नवत् विनियमाविलयों को सम्प्रति उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि० में यथावत् लागू किये जाने के दृष्टिगत अधोलिखित 17 विनियाविलयों जो उ०प्र० राज्य विद्युत परिषद के नाम से प्रख्यापित हैं तथा सम्बन्धित विनियमों में 'परिषद' का सन्दर्भ उल्लिखित है, में 'उ०प्र० राज्य विद्युत परिषद' के स्थान पर 'उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०' तथा उक्त विनियमाविलयों में जहाँ—जहाँ "परिषद / परिषदीय सेवक" के सन्दर्भ का उल्लेख किया गया है, को "कारपोरेशन / कारपोरेशन सेवक" पढ़ा जायेगा।

S.No	Title Of Compliance
1	Electricity Service Commission, U.P. State Electricity Board (Limitation of Functions) (First Amendment Regulations) Regulation, 1979
2	U.P. Electric Wire and Transformers (Prevention and Punishment of Theft) Act, 1976
3	U.P. Electricity (Temporary Powers of Control) (Amendment and Miscellaneous Provisions) Act, 1956
4	U.P. Electricity Board Recruitment to Service (Age Limit) Regulations, 1990
5	U.P. State Electricity Board (Contributions) Regulations, 1962
6	U.P. State Electricity Board (Employees Retirement) Regulations, 1975
7	U.P. State Electricity Board (Miscellaneous Provisions) Regulations, 1977
8	U.P. State Electricity Board Officers and Servants) (Conditions of Service) Regulations, 1978
9	U.P. State Electricity Board Assistant Engineers (Civil) Service (Second Amendment)
	Regulations, 1985
10	U.P. State Electricity Board Employees (Transfers) Regulations, 1980
11	U.P. State Electricity Board Establishments (Entry, Exit and Search) Regulations, 1974
12	U.P. State Electricity Board Service of Engineers (Integration and Seniority) (Sixth Amendment)
	Regulation, 1985
13	U.P. State Electricity Board Service of Engineers Regulation, 1970
14	U.P. State Electricity Board Disciplinary Proceedings (Administrative Tribunal) Regulations,
	1973
15	U.P. State Electricity Consultative Council and Local Advisory Committees rules. 1964
16	Electricity Service Commission U.P. State Electricity Board (procedure and conduct of
	business) (1st Amendment) Regulations, 1982
17	U.P. Rajya Vidyut Parishad Security Forces (Restrictions of Rights) Service Regulations, 1979

2. उपरोक्त विनियाविलयों में उल्लिखित अन्य समस्त प्राविधान अद्यतन संशोधनों सिहत कारपोरेशन के सन्दर्भ में यथावत् लागू रहेगें। भविष्य में आवश्यकतानुसार कारपोरेशन के निदेशक मण्डल के अनुमोदनोपरान्त इनमें संशोधन भी किये जा सकते है तथा संगत नियमों के सम्बन्ध में यथा आवश्यकतानुसार स्पष्टीकरण निर्गत किये जाने हेतु अध्यक्ष, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि० सक्षम होगें।

निदेशक मण्डल की आज्ञा से।

सं0: 445 -(1)-विनियम एवं काविनी/पाकालि/2021 तद्दिनांक। प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. प्रमुख सचिव (ऊर्जा), उ०प्र० शासन, बापू भवन, लखनऊ।

अध्यक्ष, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ के निजी सचिव।

3. प्रबन्ध निदेशक, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ के निजी सचिव।

(क्रमश:....2)

Son i

Mul

4. प्रबन्ध निदेशक, उ०प्र० राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि०/उ०प्र० पावर ट्राँसिमशन कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ के निजी सिचव।

5. प्रबन्ध निदेशक, पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम लि0, वाराणसी/पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम लि0, मेरठ/ मध्यांचल विद्युत वितरण निगम लि0, लखनऊ/दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम लि0, आगरा/केस्को, कानपुर।

समस्त निदेशक, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।

अपर सचिव (प्रथम/द्वितीय/तृतीय), उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।

8. अध्यक्ष / सचिव, विद्युत सेवा आयोग, उ० प्र० पावर कारपोरेशन लि०, निकट मंत्री आवास, एस०एल०डी०सी० परिसर, विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।

9. समस्त मुख्य अभियन्ता (स्तर-1/2) उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०।

10. मुख्य महाप्रबन्धक (लेखा प्रशासन एवं सम्प्रेक्षा) / (वित्त) / उप महाप्रबन्धक (लेखा प्रशासन), उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।

11 महाप्रबन्धक (औ०सं०), उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।

12. समस्त संयुक्त सचिव, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।

13. समस्त अधिकारी, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि० (मु०), शक्ति भवन / शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।

14. कम्पनी सचिव, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ को कारपोरेशन के निदेशक मण्डल द्वारा दिनांक 06.07.2021 को परिचलन विधि से सम्पन्न बैठक संख्या—455/पाकालि/बैठक/2021 में लिये गये निर्णय के सन्दर्भ में।

15. अधिशासी अभियन्ता (वेब), कक्ष सं0–407, शक्ति भवन, लखनऊ को उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि० की

वेबसाईट www.uppcl.org पर अपलोड करने हेतु।

16. अभिरक्षण पत्रावली।

(राकेश भट्ट)

उप सचिव (काविनी एवं विनियम)

D